FORM N0. III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत संभागीय आयुक्त मुकाम अजमेर

लालाराम बनाम विमला व अन्य

किस्म मुकदमा/अपील /एलआर/नं0/2022/**387** जिला अजमेर

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपी0 अधि0 : – श्री भींयाराम चौधरी कैवि. अधि : रूपक शर्मा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.09.2022	पत्रावली पेश हुई। अपील की ग्राहयता पर अपीलान्ट व केवियटकर्त्ता अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति पर सुना गया। अपील दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत जारी तहसीलदार रूपनगढ द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 04.08.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील इस न्यायालय में पोषणीय नहीं होने से संबंधित सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु पत्रावली मूल ही अपीलार्थी अधिवक्ता को लौटाई जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। संभागीय आयुक्त अजमेर	

Scanned with CamScanner